

कृषि अनुसंधान में हिंदी का प्रशासन

श्रीमती शीला पी.जे
सहायक निदेशक (रा. भा),
ती एम एम आर आइ, कोचीन

भूमिका

विज्ञान के विषयों में जब हम अपनी दृष्टि कृषि विज्ञान की ओर डालती है तो संतोष होता है क्योंकि कृषि भी विज्ञान का एक अंग है और भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि अनुसंधान, शिक्षा व प्रचार से देश के आर्थिक विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मज़बूत आधार नींव डाली है। मौजूदा कृषि अनुसंधान प्रणाली में दो मुख्य धाराएँ हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्य स्तर पर राज्य कृषि विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त कई अन्य अभिकरण भी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन सब के बीच समन्वय की भूमिका निभाने के कारण वास्तव में कृषि विकास व प्रचार से जुड़ा हुआ देश का शीर्षस्थ संगठन है। इसकी कार्यान्वयन प्रणाली तीन विधाओं द्वारा चलाई जाती है: कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और कृषि विस्तार। इन में अनुसंधान व शिक्षा का कार्यान्वयन इसके 45 केंद्रीय संस्थान, 10 प्रायोजना निवेशालय, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और 86 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं द्वारा लागू किया जाता है।

राष्ट्रीय विस्तार प्रणाली को आज एकोपित करते हुये 261 कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए मज़बूत किया जाता है। इन सभी राष्ट्रीय प्रणालियों में 24,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और शिक्षक कार्यरत हैं। कृषि विश्वविद्यालयों से प्रति वर्ष लगभग 1000 कृषि स्नातक, 5000 कृषि स्नातकोत्तर, 1500 पी एच डी धारक निकलते हैं। अनुसंधान व शिक्षा कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, मात्स्यकी, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, गृहविज्ञान, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम पालन, खाद्य प्रौद्योगिकी, बागवानी, कृषि विपणन और सहयोग आदि आदि शाखाओं में की जाती है। इन सब शाखाओं में किए गए अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों ने, खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। अतः स्वतंत्रता के इन पचास वर्षों में अनुसंधान की शाखाओं में कृषि के क्षेत्र में देश ने जितनी प्रगति पाई उतनी अन्य शाखाओं में नहीं पाई है। यह उपलब्धि हमारे परिश्रमी किसानों के कठिन परिश्रम और परिषद द्वारा अपनाई गई अनेक शासन नीतियों व पहलुओं के कारण हो पाया है।

प्रशासन और हिंदी

प्रशासन सरकार के कारोबार चलाने की एक सुव्यवस्थित ढाँचा हैं जो तत्सम्बन्धी नियमों को बाँधती रहती है। राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन देश में एक संवैधानिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 343 से 351 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई है। संविधान में दी गई शक्ति को प्रदल करते हुये 1963 में राजभाषा अधिनियम और 1976 में राजभाषा नियम बनाये गये। अधिनियमों व नियमों के पालन और इसके तहत बनाए अनुदेशों के कार्यान्वयन केलिए गृह मंत्रालय के अधीन 1978 से एक राजभाषा विभाग कार्यरत है। सरकार की किसी भी नीति का प्रशासन निश्चित आदेशों व अनुदेशों का अनुधावन करते हुये होता है। देश के शीर्षस्थ कृषि अनुसंधान संगठन में भी हिंदी कार्यान्वयन की नीतियाँ नियमगत व कानूनी अनुदेशों के अनुरूप लागू की गई हैं।

स्वतंत्रोत्तर भारत में देश को एक सूक्त में लाने के सशक्त माध्यम के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। पर स्वतंत्रता के तुरंत बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने पर भी राजकाज के कार्यों में पूर्णतः हिंदी को ले आने में हम विफल हुए। लेकिन अन्य अनुसंधान संस्थाओं की तुलना में कृषि के क्षेत्र में हम हिंदी को अधिक लाये जा सके हैं क्यों कि भारत पहले ही कृषि प्रधान देश है। परंपरागत या नई प्रौद्योगिकियाँ के कार्यान्वयक देश के आम किसान हैं जो देशी भाषाएं बोलते हैं।

मानव संसाधन में हिंदी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मानव शेषि के उचित उपयोग के रूप में जनशक्ति का कार्य विन्यास करता है। अनुसंधान व शिक्षा कार्य में लगी जन-शक्ति की गुणता, तकनीकी निपुणता और प्रबंधन से यह हो पाता है। परिषद के अधिदेशों के कार्यनिष्पादन के अनुरूप कर्मचारियों को वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक व सहायक वर्गों में बाँटे हैं। इन में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा व प्रचार कार्यों के नीति निर्धारक हैं, तकनीकी वर्ग अनुसंधान शिक्षा व प्रचार कार्य में सहायता देता है; कार्मिक कार्यों के साथ ही साथ अनुसंधान केलिए आवश्यक अवसंरचनाओं का प्रबंधन प्रशासनिक वर्ग से होता है।

मानव संसाधन के घयन व दर्जा संगठन की पाँग के अनुरूप होना है। अखिल भारतीय स्तर पर चलाई जानेवाली भर्ती परीक्षाओं व साक्षात्कारों द्वारा परिषद में घयन होता है। इसकेलिए परिषद में 1975 में एक स्वतंत्र प्रत्यायन बोर्ड माने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का गठन किया है। वैज्ञानिकों का घयन इस बोर्ड द्वारा चलाई जानेवाली अखिल भारतीय भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों से होता है, उच्च स्तरीय पदों की नियुक्ति भी इस बोर्ड द्वारा चलाये जानेवाले साक्षात्कारों से होती है। इन परीक्षाओं में हिंदी एक विकल्प के रूप में दिया जाता है।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को हिंदी की जानकारी अनिवार्य है। इस केलिए परिषद में हिंदी शिक्षण

योजना द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेना और परीक्षाएं पास होना अनिवार्य कर दिया है। इन में प्रशासनिक वर्ग को हिंदी शिक्षण योजना की अंतिम परीक्षा प्राज्ञ में उत्तीर्ण होना है, वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों को सिर्फ दूसरे दर्जे की परीक्षा प्रवीण में विजयी होना है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण केलिए स्थापित सरकारी संस्था हिंदी शिक्षण योजना द्वारा चलाये जानेवाले कोर्स मात्र प्रशासनिक तरीके के हैं। अनिवार्य प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा दिये अनुदेशों के अनुसार अधिकांश संस्थानों के कर्मचारियों ने हिंदी का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया है। पर पत्रव्यवहार में जितना प्रतिशत काम मूल रूप से हिंदी में किया जाना अपेक्षित है उतना नहीं होता है। यह नियमगत लाजिमी नहीं है कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर काम सिर्फ हिंदी में करें। हिंदी की जानकारी होती हुई भी सरकार का तंत्र अंग्रेजी के जरीए चलाया जा सकता है। इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि हिंदी का काम द्विभाषिकता का काम है। हिंदी में करने से समय भी व्यर्थ ! श्रम भी व्यर्थ ! इसलिए कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों का स्वरूप आकड़ावाला अनुदित या द्विभाषिक मानक प्रपत्रों जरीए या आलंकारिक द्विभाषिक बोर्डों तक सीमित है। वैज्ञानिकों की स्थिति भी इस से भिन्न नहीं है। वैज्ञानिकों को सरकार की नीति के अनुसार जो कोर्स दिया जाता है वह पत्रव्यवहार न चलाने का नहीं बल्कि उस सोरिचित होने का है। आखिर पत्रव्यवहार उनका काम भी नहीं है। वैज्ञानिकों के काम के अनुरूप हिंदी में प्रकार्यात्मक

पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा इस पर गंभीरता से सोचना उचित होगा।

वर्तमान नीति में वैज्ञानिकों को हिंदी में योगदान देने को सज्ज किए जाने को वैज्ञानिक संगोष्ठीयों का आयोजन बताया गया है। मौलिक वैज्ञानिक लेखन न केवल वैज्ञानिक वित्तन, ज्ञान, विज्ञान तथा शोध कार्यों को आगे बढ़ाता है बल्कि भाषा के विकास में भी योगदान देता है। नये विचारों व नई संकल्पनाओं केलिए वैज्ञानिक नए शब्दों व अभिव्यक्तियों का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म वैज्ञानिक विषयों को बाणी देने को अर्थगर्भित शैली का विकास करता है, कम से कम शब्दों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त करने की सूत्र, प्रतीक, फार्मूला जैसी युक्तियों का विकास करता है। लेकिन देश के 90% वैज्ञानिक अपने पढ़न-पाठ अंग्रेजी में किए जाने के कारण हिंदी में मौलिक लेखन करने में असमर्थ हो जाते हैं, अन्यथा उनमें हिंदी के प्रति रुचि या लगन हो, वैज्ञानिक संगोष्ठीयों में अनुदित साहित्य का पाठ होता है, यह भी होता है कि पढ़ा गया वैज्ञानिक साहित्य मौलिक लेखन के समान सक्षम हो। परिषद के वैज्ञानिक संस्थानों में नियुक्त किए हिंदी के स्नातकोत्तर योग्यता रखनेवाले कोई भी अनुवादक या अधिकारी से यह वांछित नहीं की जा सकती कि किसी वैज्ञानिक संस्था के सूक्ष्म, विशेष व बहुविध वैज्ञानिक विषयों की शाखाओं की जानकारी वे आत्मसत् करें और हिंदी में लिखें। हिंदी के कार्यान्वयन केलिए नीतियाँ रचाते वक्त हम ने सिर्फ पत्तों को ही सिंचा है, जड़ों को सिंचाने की हिम्मत हम में कहाँ।

शिक्षा - प्रशिक्षण में हिंदी

सब से भयंकर स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में हुई हिंदी की उपेक्षा है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को लाने का उद्यम हुआ था तथापि हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों के कोर्स व पाठ्यक्रमों के अनुरूप थे। देशीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों और पुस्तकों का अभाव था। इनमें उन्नयन लाने की कई गतिविधियाँ यहाँ एक साथ हुईं। उच्च स्तर पर यथासंभव भारतीय भाषाओं को विज्ञान की शिक्षा का माध्यम बनाने का संकल्प हुआ, विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा संस्थागत स्तर पर किताबों का निर्माण करवाना, माध्यम परिवर्तन को सुगम बनाने केलिए विश्वविद्यालय स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी पाठ्यपुस्तकों और मानक ग्रंथों का निर्माण किया जाना आदि आदि। इन केलिए भारत सरकार ने 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण व मानकीकरण केलिए वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण केलिए एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्त्वावधान में भारत सरकार ने हिंदी तथा 17 अहिंदी भाषी राज्यों को अपनी - अपनी भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी पाठ्यपुस्तकें तैयार करने केलिए अनुदान दिया गया। इनका कार्य यह था कि वैज्ञान-विज्ञान तथा तकनॉलजी के विभिन्न विषयों पर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी अपनी भाषाओं में

पाठ्यपुस्तक तथा संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करें। इंजनीयरी, अर्थ विज्ञान और कृषि विषयों में आवश्यक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने का दायित्व वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया।

तब से लेकर अब तक आयोग तथा विभिन्न अकादमियों ने मिलकर भारतीय भाषाओं में लगभग 13,000 किताबें प्रकाशित की हैं जिन में विज्ञान, इंजनीयरी, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी की पुस्तकें हैं। इन में केवल हिंदी पुस्तकों की संख्या 3000 से ऊपर है। इस में कृषि तथा संबंधीत विज्ञानों को जोड़कर लिखी सभी पुस्तकों की संख्या 2000 के निकट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रेरित आंकड़ा व्यक्त करता है कि कृषि विज्ञान में विश्वविद्यालयीन स्तर पर कृषि को हिंदी में ले जाने में ये पुस्तकें पर्याप्त हैं। उत्तर भारत के 6 राज्यों के 16 विश्वविद्यालयों में कृषि की उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश एवं बिहार में स्नातक स्तर पर कृषि विज्ञान की शिक्षा का माध्यम हिंदी ही गया है। कम से कम हिंदी भाषी प्रदेश के अन्य राज्य, सरकार उत्तर प्रदेश का नमूना स्वीकार कर सकते हैं। कृषि विज्ञान शब्द से फसल, फल-फूल, साज - सब्जी आदि का आभास होता है लेकिन पशुधन, डायरी मुर्गी, मछली, बागवानी, पर्यावरण, आदि सैकड़ों शाखाएं और इसके अधीन आनेवाले सैकड़ों सूक्ष्म उप व विशेष शाखाएं हैं। इन में विश्वविद्यालयीन स्तर का पाठ्यक्रम व पुस्तकों का निरंतर अभाव है। अभावों की पूर्ति कौन करेगा यह नीतिगत या वैधानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी या भारतीय भाषा बनाने का नीति-

निर्णय शासकीय या वैधानिक स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है।

फिलहाल विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त परिषद के चार संस्थानों में स्नातकोत्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विकल्प स्वरूप हिंदी की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। परिषद के विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त संस्थानों में छात्रों के शोध पत्र हिंदी में लिखे जाते हैं। कुछेक वर्षों से छात्रों के शोधपत्रों का सारांश हिंदी में अनिवार्य भी कर दिया है। पर हिंदी में पाठ्यवस्तु व पाठ्यक्रम न जोड़ने के कारण कम से कम अहिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के हिंदी अनुभागों द्वारा यह काम लिया जाता है।

प्रशिक्षणों में हिंदी

सरकार की अपेक्षा है प्रशिक्षणों के ज़रिए हिंदी के प्रयोग में सुधार लाया जाए। परिषद के हिंदी भाषी व भागिक रूप से हिंदी बोलनेवाले क्षेत्रों के प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार करना है जबकि अहिंदी भाषी क्षेत्र को यह लागू नहीं है। परिषद में दो कोटि के प्रशिक्षण दिये जाते हैं, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दिये जानेवाला उच्च स्तरीय प्रशिक्षण जिसके भागीदार वैज्ञानिक, शिक्षक, उच्च कार्मिक आदि आदि हैं जो मूलतः अंग्रेजी में चलता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों को घास मूल तक पहुँचाने के लिए स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों में छोटे और सीमांत किसानों को दिये जानेवाला प्रशिक्षण है। प्रत्येक राज्यों के जिला स्तर पर

स्थापित इन केंद्रों की प्रशिक्षण की भाषा मूलतः स्थानीय होती है।

प्रसार कार्यक्रम में हिंदी

हिंदी के प्रति रुचि जगाने और उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से हिंदी दिवस / सप्ताह / पखवाडा / चेतना मास का आचरण किया जाता है। प्रोत्साहन के तहत् कर्मचारियों के बीच कला-साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, हिंदी में काम करने के झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, पुस्तकों व सन्दर्भपत्रों, चाट्टों आदि की प्रदर्शनीयाँ भी आयोजित की जाती हैं। प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि के ज़रिए किये जानेवाले इन कार्यक्रमों से हिंदी का बातारण बनाया रखा जा सकता है। पर हिंदी की अन्तर्धारा शुष्क है, संकट है अंग्रेजी की मानसिकता की, सरकारी सेवा के अधिकारी गणों की। वे स्वयं अंग्रेजी में व्यवहार करने को छोड़ नहीं पाते जब तक यह अनिवार्य न किया जाए।

कृषि प्रसार में हिंदी

जब बोलचाल की भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होगा तो विज्ञान को परकास्ता की मंजिल मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में यह और भी आवश्यक है क्योंकि किसान के बोलचाल की भाषा ही तकनीकी के प्रचार व प्रसार का सशक्त माध्यम हो सकती है। एक और संस्थानों में नई विकसित प्रौद्योगिकियाँ हैं तो दूसरी और किसानों के पास सदियों के अक्षुण्ण अनुभव

ज्ञान है. दोनों के आदान प्रदान से कृषि विकास आसान कर सकते हैं. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर एक समझौता सा हुआ है जिसके अनुसार आयोग कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन पर ध्यान देगा और परिषद कृषि विज्ञान से संबंधित संदर्भ - ग्रन्थों, पुस्तकों, शोध-पत्रों आदि को प्रकाशित करके कृषि विज्ञान संबंधी रिक्तियों को पूरा करेंगे. परिषद कई कोशिश करके सभी प्रकार की पुस्तकों को जोड़ने पर भी इनकी संख्या 2000 के ऊपर न ला पाए हैं.

परिषद में प्रकाशन विभाग तीस साल पहले ही कार्यरत है. अब इसको निदेशालय का दर्जा दिया गया है जहाँ हिंदी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अलग अलग विभाग हैं. निदेशालय से हिंदी में 'खेती' (माहिक) 'फल फूल' और 'कृषि चयनिका' (दोनों त्रैमासिक) नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कृषि ग्रन्थों को दो साल में एक बार 20-20 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाता है. खेती में छपी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर हर साल दो-दो हजार रु का पुरस्कार दिया जाता है. हर साल वैज्ञानिक उपलब्धियों को परिषद वार्षिक रिपोर्ट के रूप में छपाते हैं. सभी संस्थानों के हिंदी विभाग खोजों की जगनकारी दी जानेवाली पत्रिकाएं, पर्चे आदि छपाते हैं. चुने गए संस्थानों से नियमित हिंदी पत्रिकायें, शोध पत्रों का संकलन, वैज्ञानिक संगोष्ठियों की कार्यविधियाँ आदि का प्रकाशन होता है.

इन प्रकाशनों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इन में मूल और अनुदित साहित्य हैं. भाषिक दृष्टि से, वैज्ञानिक लेखन के दो प्रमुख रूप मिलते हैं. पहला है अनुसंधान परक यां तकनीकी विज्ञान की भाषा, और दूसरा लोकप्रिय विज्ञान की भाषा. अनुसंधान परक वैज्ञानिक लेखन, विषय के जानकारों के लिए होता है इस में सूक्ष्म व विशेष शब्दों युक्त अभिधात्मक भाषा शैली होती है. लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखन सामान्य पाठकों के लिए होता है और इस में तकनीपन की मात्रा कम होती है और भाषा शैली सहज और बोधगम्य होती है. वैज्ञानिक लेखन में सब से अटकनेवाली चीज़ शब्दों का है. नई उभरी खोज के साथ आने वाले नये शब्द अपने आप में पारदर्शी होता है प्रयोग से ही उस में सुतार्यता लायी जा सकती है. यदि हमारी भाषा में उन्हीं शब्दों के प्रति मूल संकल्पना है तो यह प्रयत्न आसान हो जायेगा. जिस देश में किसी विषय पर मौलिक ज्ञान का विकास होता है उसी देश में उस विषय से संबंधित साहित्य की परंपरा विकसित होती है. प्राचीन भारत में दर्शन, अध्यात्म, मीमांसा, धर्म, साहित्य शास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि विषयों पर मौलिक रचनायें रची गई हैं. जहाँ तक वैज्ञानिक लेखन का प्रश्न है इनकी परंपरा एक क्षीण धारा के रूप में मिलती है. इस प्रकार के कई उदाहरणों से आप परिचित भी हैं. इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय विज्ञान की शाखाओं का निर्माण आज के समान नहीं हुआ था ज्ञान में ही विज्ञान किया गया था. उदाहरण के लिए अर्थवेद में कई रोगों के लक्षणों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न हमें

मिलता है। भारत में कृषि की बड़ी प्राचीन परंपरा होने से कृषि की वैज्ञानिक लेखनी में शब्दों की समस्या उतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि अन्य वैज्ञानिक शाखाओं में। शब्दावली आयोग ने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से 18,000 शब्दों का एक बहुत पारिभाषिक कृषि संग्रह 1978 में निर्माण किया। कृषि के क्षेत्र में नूतन संकल्पनायें जोड़नेवाले हाल के संदर्भ में परिषद को इसका परिष्कार व परिवर्धन का काम तेज करना है।

कृषि के औद्योगीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह भुलाया नहीं जा सकता कि देश के नव्वे प्रतिशत लघु पैमाने के सीमांत किसान हैं। प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों के कार्यकर्ता ये किसान हैं। उन तक ये प्रौद्योगिकियाँ पहुँचाने केलिए देशीय भाषाओं का प्रयोग होना है, और कहीं होता भी। परिषद और इनके अनेक संस्थानों से हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं में कृषि विस्तार अंकावलियाँ निकल जाती हैं। इनको आधार बनाकर कई संस्थानों में प्रादेशिक भाषाओं में किसान मेलायें आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय समुद्री मानियकी अनुसंधान संस्थान के मुंबई केंद्र में आयोजित कृषक मेलाओं में बढ़ते रहे किसानों की भीड़ प्रसार प्रशासन का सच्चा उदाहरण था।

निष्कर्ष

राजभाषा के पचासवें वर्ष में राजभाषा विभाग यह चाहता है कि संघ सरकार के सारे कार्यालय इन वर्षों में किए गए काम का जायजा लें, औपचारिकताओं और उत्तरों से हटकर हिंदी का सच्चा प्रयोग करें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने प्रभावी प्रशासन से राजभाषा हिंदी के बहु आयामी प्रयोग व विकास पर जोर देने के साथ ही साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी को देशीय भाषाओं के माध्यम से जनमानस तक ले जाने को कठिकख है ताकि भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनते रहे। राजभाषा हिंदी के पचास वर्ष के प्रयाण में बाधाएं होकर खड़ी द्विभाषिकता या चरित्रहीनता के बावजूद भी हिंदी ने जो प्रगति व प्रचार पाई है वह आशावह है क्योंकि किसी भी देश के भाषा इतिहास में पचास वर्ष उतनी लंबी अवधि नहीं हैं, विश्व की विकसित भाषाओं का इतिहास सैकड़ों वर्षों का है। भूमंडलीकरण और सुचना प्रौद्योगिकी से उभरी नई चुनौतियाँ भी भाषा के सामने होने पर भी हम निश्चित हैं कि हमारी जड़ें मजबूत, संकल्प सुदृढ़ और लक्ष्य सुतार्थ हैं।



“हिंदी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य, यों तो स्व और अमरीका जितना है उसका जन राज्य। बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूँगी असमर्थ, एक भारती बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ।”

- राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त